न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : धारा सिंह मीना, RAS

अपील संख्या 70 / 2021

1 हनुमान सिंह पुत्र गंगाराम आयु 73 साल जाति जाट निवासी छावसरी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 मनीराम पुत्र जीताराम।
2 माडुराम पुत्र जीताराम।
3 रविदत पुत्र रघुवीर सिंह।
4 रामेश्वर पुत्र जीताराम समस्त जाति जाट निवासीगण छावसरी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।
5 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लैण्ड होल्डर उदयपुरवाटी।

रेस्पोडेंट

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 31.08.2021 द्वारा
उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी उनवानी मनीराम
बनाम हनुमान सिंह आदि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा
251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम मुकदमा
नम्बर 170 / 2019।

उपस्थिति :

1. श्री रविराज सिंगोदिया, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री अरविन्द सैनी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

—निर्णय—

दिनांकः—28-9-22

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी द्वारा मुकदमा नम्बर 170/2019 में पारित निर्णय दिनांक 31.08.2021 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थी रेस्पोडेंट संख्या 01 ने आवेदन अन्तर्गत धारा 251ए प्रस्तुत कर आवेदनकर्ता की भूमि खसरा नम्बर 449,450 में से आवागमन हेतु खसरा नम्बर 448 में से 15 फिट चौडे रास्ते का अनुतोष चाहा है। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से आवेदन स्वीकार किया है। इससे व्यथित होकर अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि खसरा नम्बर 450व 449 के आवेदनकर्ता रेस्पोडेंट संख्या 01 के अलावा रेस्पोडेंट संख्या 2,3,4 भी खातेदार है। इनके द्वारा रास्ते की मांग नही की गई है। विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मौका रिपोर्ट भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा तैयार की गई है। यह रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व अपीलांट को सूचित नही किया गया है, अपीलांट की उपस्थिति में यह रिपोर्ट तैयार नही की गई है। विचारण न्यायालय ने इस एकपक्षीय रिपोर्ट का भी सम्यक अवलोकन नही किया है। इस रिपोर्ट में खसरा नम्बर 448 के पूर्वी सीमा से रास्ता देने पर रास्ते की लम्बाई 120 मीटर अंकित है जबकि पश्चिमी सीमा पर रास्ता देने पर रास्ते की लम्बाई 105 मीटर बताई गई है। विचारण न्यायालय को निकटतम दूरी का रास्ता देना चाहिए था। ऐसा नही कर विचारण न्यायालय ने विधिक भूल की है। विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलांट ने ऐतराज भी

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

प्रस्तुत किया था किन्तु विचारण न्यायालय ने बिना किसी विवेचन के अपीलांट की आपत्ति खारिज की है। विचारण न्यायालय में पत्रावली दिनांक 24.07.2021 की आदेशिका के अनुसार अप्रार्थीगण की तलबी हेतु दिनांक 31.07.2021 को नियत की गई है। दिनांक 31.07.2021 को बिना तलबी, बिना सुनवाई, बिना विधिक प्रकिया अपनाये विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है। अत अपील स्वीकार कर प्रकरण रिमाण्ड किया जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में डी.एन.जे. 2021(1) पेज 681, डी.एन.जे. 2021(1) पेज 661, डी.एन.जे. 2021(2) पेज 1127, डी.एन.जे. 2021(2) 763, डी.एन.जे. 2021(1) पेज 638, डी.एन.जे. 2022(1) पेज 595 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में अपीलांट के विरूद्व दिनांक 30.07.2019 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई थी। दिनांक 18.02.2020 को अपीलांट द्वारा आदेश 9 नियम 7 का आवेदन प्रस्तुत किया गया। इस आवेदन को सुनवाई के उपरान्त स्वीकार किया जाकर अपीलांट को जवाब का अवसर प्रदान किया गया है। अपीलांट ने विचारण न्यायालय में जवाब प्रस्तुत किया है। अपीलांट द्वारा मौका रिपोर्ट पर आपत्ति प्रस्तुत की गई है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट को आपत्ति पर सुना जाकर बाद सुनवाई विस्तृत विवेचन कर विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है। विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में वैकल्पिक रास्ता होने का उल्लेख नही है। अपीलांट द्वारा कथित पश्चिमी सीमा पर ट्रास्फार्मर लगा होने से रास्ता दिया जाना सम्भव नही था। विचारण न्यायालय ने विधिक प्रकिया की पालना कर विचाराधीन निर्णय पारित किया है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नही है। अपील खारिज की जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 450व 449 के आवेदनकर्ता रेस्पोडेंट संख्या 01 के अलावा रेस्पोडेंट संख्या 2,3,4 भी खातेदार है। इनके द्वारा रास्ते की मांग नही की गई है। विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत मौका रिपोर्ट भू अभिलेख निरीक्षक द्वारा तैयार की गई है। यह रिपोर्ट तैयार करने से पूर्व अपीलांट को सूचित नही किया गया है, अपीलांट की उपस्थिति में यह रिपोर्ट तैयार नही की गई है। विचारण न्यायालय ने इस एकपक्षीय रिपोर्ट का भी सम्यक अवलोकन नही किया है। इस रिपोर्ट में खसरा नम्बर 448 के पूर्वी सीमा से रास्ता देने पर रास्ते की लम्बाई 120 मीटर अंकित है जबकि पश्चिमी सीमा पर रास्ता देने पर रास्ते की लम्बाई 105 मीटर बताई गई है। विचारण न्यायालय को निकटतम दूरी का रास्ता देना चाहिए था। ऐसा नही कर विचारण न्यायालय ने विधिक भूल की है। विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलांट ने ऐतराज भी प्रस्तुत किया था किन्तु विचारण न्यायालय ने बिना किसी विवेचन के अपीलांट की आपत्ति खारिज की है। विचारण न्यायालय में पत्रावली दिनांक 24.07.2021 की आदेशिका के अनुसार अप्रार्थीगण की तलबी हेतु दिनांक 31.07.2021 को नियत की गई है। दिनांक 31.07.2021 को बिना तलबी, बिना सुनवाई, बिना विधिक प्रकिया अपनाये विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाकर प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि सभी पक्षकारों की सम्यक तामील उपरान्त सभी पक्षकारों की उपस्थिति में सक्षम स्तर से पुन मौका रिपोर्ट प्राप्त कर आपत्ति का अवसर प्रदान कर बाद

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुन विधि सम्मत निर्णय पारित करे। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.10.2022 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 28-9-22 को सरे इजलास सुनाया गया।

(धारा सिंह सीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर